भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या +131
उत्तर देने की तारीख 03 फरवरी, 2025
14 माघ, 1946 (शक)

खेल क्षेत्र में युवाओं के लिए विशेष योजना

+131. श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वित की जा रही विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' और 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के अंतर्गत कोई विशेष पहल कर रही है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, देश में युवाओं के बीच खेलों के विकास और प्रोत्साहन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, तथा केंद्र सरकार केवल उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, सरकार देश भर में विभिन्न खेल प्रोत्साहन स्कीमें चला रही है। इन स्कीमों में शामिल हैं: (i) खेलो इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता; (iii) अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को नकद पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन। इन स्कीमों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.nic.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। इन सभी स्कीमों का उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर समीक्षा और ऑडिट किया जाता है।

इसके साथ ही, सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शुरू की है। इस योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में उद्योगों की मांग के आधार पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (एनएसक्यूएफ) से जुड़ी नौकरी के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करके देश भर में उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार करना है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य नए स्वरोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और बड़े पैमाने पर छितरे पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना है ताकि उन्हें यथासंभव उनके स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें।

*****